रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274650
CG-DL-E-20072026-274650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 462]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

भारतीय उपचर्या परिषद
प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 17 **जुलाई**, 2026

फा.सं. 18–02/सरकार/2024–आईएनसी .— समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:–

जबकि, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों को राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने हेतु प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, 5वां ब्लॉक, भूतल, कमरा संख्या 157, आंध्र प्रदेष सचिवालय, वेलागपुडी, अमरावती–522503, आंध्र प्रदेश को एक नोटिस संख्या 18–02/सरकार/2024–आईएनसी (65477) दिनांक 26.11. 2024 को जारी किया गया था। दिनांक **26.11.2024** को जारी नोटिस की एक प्रति आंध्र प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिशें परिषद को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, निम्नलिखित संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार या आंध्र प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् के तस्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाए गए हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि **दिनांक 11.09.2025 से, निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।**

संस्थानों की सूचीः–

1. करुणा स्कूल ऑफ नर्सिंग, तनुकु, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश–534211 (जीएनएम)

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./231/2026-27]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 17th July, 2026.

F.No. 18-02/Govt./2024 - INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, the following institutions located in the State of Andhra Pradesh were recognized by the State Government and the Andhra Pradesh Nurses & Midwives Council to conduct nursing courses.

Whereas, a notice no. 18-02/Govt./2024 - INC (65477) dated **26.11.2024** for withdrawal of recognition under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, was issued to the Principal Secretary, Health Medical and Family Welfare Deptt., Government of Andhra Pradesh, 5th Block, Ground Floor, Room No. 157, A.P. Secretariat, Velagapudi, Amaravathi 522503, Andhra Pradesh. A copy of the notice dated 26.11.2024 was also sent to the Andhra Pradesh Nurses & Midwives Council. In the notice issued, the State Government was requested to submit its recommendations to the Council regarding the suitability of the nursing institutions.

Whereas, the Council has not received any remarks or recommendation from the State Government or the Andhra Pradesh Nurses & Midwives Council regarding the suitability of the below-mentioned institution.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. The Indian Nursing Council records show that these institutions have failed to apply for statutory inspection for several years and were found deficient/unsuitable for conducting nursing programme.

Now therefore, the Council, exercising powers under Section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that with effect from 11.09.2025, **any person holding a recognized qualification from the following institution shall be entitled to be registered only in the State of Andhra Pradesh.**

1. Karuna School Of Nursing, Tanuku- 534211 West Godavari district – Andhra pradesh, Tanuku, Distt. West Godavari, Pin Code - 534211 Andhra Pradesh (GNM)

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./231/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA